



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,

विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,


सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.

टेली/Tel: 022-28294756, 28294799 फैक्स/Fax: 28291754,

E-mail : dcseepz-mah@nic.in, Web-site : www.seepz.gov.org



फा.सं.सीपज़-सेज/सुरक्षा/अनुमति पत्र/07/2019/भाग-2/00841

दि. 18-01-2021

परिपत्र सं.-03/2021

विषय :- दो पहिया / चार पहिया वैध पास धारक वाहन / कर्मचारियों को गेट संख्या - 2 से प्रवेश / निकास की अनुमति ।

सभी यूनिट एवं उनसे संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि सीपज़ के बाजू में मेट्रो निर्माण का काम शुरू होने से सीपज़-सेज के सभी युनिट / कर्मचारियों को दो पहिया / चार पहिया वाहन से प्रवेश / निकास करने में होने वाली असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सभी दो पहिया / चार पहिया वैध पास धारक वाहन / कर्मचारियों को गेट संख्या- 2 से प्रवेश / निकास की अनुमति मेट्रो निर्माण का काम खत्म होने तक दी जाती है।

यह परिपत्र विकास आयुक्त महोदय, सीपज़-सेज के अनुमोदन से तत्काल प्रभाव से लागू कीये जा रहा है।

केशव जाधव
18/1/2021
(केशव जाधव)

सुरक्षा अधिकारी
सीपज़-सेज

प्रति:-

1. सीपज़ जेम्स एंड ज्वेलरी मैनुयू. एसोसिएशन,
2. सभी यूनिट एवं जनोपयोगी सेवाएं, सीपज़-सेज
3. सीमाशुल्क अनुभाग
4. सुरक्षा अनुभाग